

निविदा सूचना

संस्थान पर आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशाप, कार्यशालायें एवं संस्थानों के निरीक्षण आदि कार्यालय के प्रयोगार्थ टैक्सी व बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म तथा कार्य का विवरण विशिष्टियों सहित कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार) दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ से ₹0 500/- (नॉन रिफन्डेबुल) का नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाइट www.sirdup.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म को डाउनलोड करने वाली फर्म/संस्थाओं को निविदा फार्म के साथ ₹0 500/- (नान रिफन्डेबुल) डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि “महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ” के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। सभी प्रकार से पूर्ण मुहरबन्द निविदायें दिनांक 22 जून, 2017 को दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 22 जून, 2017 को अपराह्न 03.00 बजे संस्थान पर गठित समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

महानिदेशक

निविदा : विवरण / शर्तें

1. निविदा डालने की तिथि 22 जून, 2017 अपराह्न 01:00 बजे तक तथा प्राप्त सभी निविदायें उसी दिन निविदा समिति और निविदादाताओं के समुख अपराह्न 03.00 बजे खोली जायेंगी।
2. निविदा फार्म के साथ अर्नेस्ट मनी ₹0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0 के पक्ष में संलग्न करना होगा।
3. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 15 लाख का होना अनिवार्य है।
4. फर्म का केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में पंजीयन अनिवार्य होगा।
5. वाहन उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक द्वारा जारी सूची के अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी द्वारा फोन अथवा लिखित रूप से वाहन की मांग करने पर (08 घण्टे की समयावधि) निर्धारित समय व स्थान पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. सेवा प्रदाता को सरकारी संस्थानों में कम से कम 03 वर्ष की ट्रेवेल सेवा प्रदान करने का अनुभव हो।
7. संस्थान के महानिदेशक द्वारा फर्म की सहमति के आधार पर स्वीकृत दरों को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
8. संस्थान के किसी अधिकारी को एन0आई0आर0डी0/ नई दिल्ली अथवा किसी अन्य राज्य के एस0आई0आर0डी0 के भ्रमण पर वहाँ के लोकल ट्रान्सपोर्टर से समन्वय स्थापित कर वाहन मुहैया कराना होगा।
9. वाहन उपयोग के समय कार्यदायी संस्था का एक सदस्य कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है जिससे कि आने वाली समस्याओं का निराकरण वह स्वयं कर सके।
10. संस्थान को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है तथा उपलब्ध करवाये वाहन के मेक मॉडल 03 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
11. रास्ते में वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु दूसरा वाहन फर्म को उपलब्ध कराना होगा। वांछित समय पर वाहन उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य व वापसी पर किराये के रूप में जो भी व्यय आयेगा उसे फर्म द्वारा वहन करना होगा।

12. वाहन चालक किसी प्रकार का नशा अथवा मादक पदार्थ का सेवन यात्रा के दौरान नहीं करेगा तथा वाहन चालक को वाहन चलाते समय वर्दी में होना अनिवार्य है, इसके साथ ही वाहन चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एस०एस०पी०/सम्बन्धित थाने से प्राप्त कर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
13. जिस फर्म की दरें अनुमोदित की जायेंगी उसको जमानत राशि के रूप में रु० 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक एफ०डी०आर० सिक्योरिटी के रूप में महानिदेशक, एस०आई०आर०डी० के पक्ष में जमा करना होगा।
14. बिलों का भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा।
15. फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी अन्यथा की स्थिति में टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।
16. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक महोदय द्वारा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
17. निविदादाता अपना पैन नं०/टैन नं० का उल्लेख करें।
18. स्वीकार की गयी दरें आदेश तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस बीच बढ़ी हुई दरें या अन्य कर मान्य नहीं होंगे।
19. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया में महानिदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
20. उल्लिखित शर्तों को फर्म द्वारा पालन करने हेतु सहमति दने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

महानिदेशक

दीनदयाल उपाध्याय

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बख्शी का तालाब, लखनऊ

तकनीकी बिड़

सामान्य विवरण

सेवा में,

महानिदेशक,

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बख्शी का तालाब, लखनऊ।

विषयः— संस्थान पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा सख्या.....दिनांक.....के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निविदा—प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचनायें कमवार निम्नवत् अंकित हैं—

01. फर्म / संस्था का पूरा नाम व पता
-
.....

02. प्रोपराइटर का नाम व पत्राचार का पता टेलीफोन सहित
-
.....

03. फर्म पंजीकरण संख्या
-
.....

04. फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/मैनेजर का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो
-
.....

05. फर्म का गत 03 वर्ष का टर्न ओवर बैलेंसशीट सहित

टर्न ओवर (₹० लाख में)	अवधि	अवधि	अवधि
	2013–2014	2014–2015	2015–2016
₹० १५ लाख			

06 फर्म का सरकारी संस्था में कार्य का 03 वर्ष का अनुभव

.....

07 फर्म का चरित्र प्रमाण पत्र / एन0ओ0सी0 (जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक)

.....

08 केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में पंजीकरण संख्या

.....

09 पैन नं० / सेवाकर न०

पैन नम्बर सेवा कर नम्बर

10 (क) निविदा शुल्क 500/- जमा की रसीद संख्या/बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक.....

(ख) निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में “महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ” के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट का विवरण

ਫਾਟ ਨੰ	ਦਿਨਾਂਕ	ਧਨਰਾਸ਼ਿ	ਦੇਵ : ਲਖਨਾਤ

मैंने / हमने महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बरछी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा-प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को

भलीभाँति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/ करते हैं।

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप (वित्तीय विड) पर अपनी दरें समस्त करों सहित (जो प्रचलन में हो) अलग सीलबन्द लिफाफे में तथा (EMD) के रूप में धनराशि रु0ड्राफ्ट सं0.....
दिनांकके साथ प्रेषित कर रहा/ रहे हूँ/ हैं।

हस्ताक्षर:

(निविदादाता / अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम:

पता:

मोबाइल न0.....

मुहर

दिनांक:

अनुसूची-02

वित्तीय बिड – अ

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
वाहनों के लखनऊ शहर व निकटवर्ती स्थलों की स्थानीय दरें

क्र०	वाहन का विवरण	प्रतिदिन न्यूनतम दूरी (किमी०)	प्रतिदिन न्यूनतम घण्टे	न्यूनतम दूरी व समय के अन्दर दर प्रति किमी०	अतिरिक्त समय की प्रति घण्टा दर	अतिरिक्त दूरी की प्रति किमी० दर
1	2	3	4	5	6	7
अ	टैक्सी					
1	टाटा इण्डिका					
2	टाटा इन्डिगो					
3	टोयोटा इटियोज ए०सी०					
4	टोयोटा इनोवा ए०सी०					
5	मारुति-सियाज ए०सी०					
6	मारुति-स्विप्ट डिजायर ए०सी०					
7	मारुति-आर्टिंगा ए०सी१०					

ब	टैम्पो ट्रैवेलर	100 किमी	08 घण्टे			
8	17 सीटर ए०सी०					
9	25 सीटर ए०सी०					

स	बस	100 किमी	08 घण्टे			
10	35 सीटर ए०सी०					
11	42 सीटर ए०सी०					
12	52 सीटर ए०सी०					

13	नाइट चार्ज	
----	------------	--

नोट- उक्त दरों पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू समर्त कर अतिरिक्त देय होंगे।

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

वित्तीय बिड – ब

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
वाहनों के लखनऊ जनपद से बाहर की दरें

क्र०	वाहन का विवरण	प्रतिदिन न्यूनतम दूरी (किमी)	प्रतिदिन न्यूनतम घण्टे	न्यूनतम दूरी व समय के अन्दर दर प्रति किमी।	अतिरिक्त समय की प्रति घण्टा दर	अतिरिक्त दूरी की प्रति किमी। दर
1	2	3	4	5	6	7
अ	टैक्सी					
1	टाटा इण्डिका					
2	टाटा इन्डिगो					
3	टोयोटा इटियोज ए०सी०					
4	टोयोटा इनोवा ए०सी०					
5	मारुति-सियाज ए०सी०					
6	मारुति-स्विप्ट डिजायर ए०सी०					
7	मारुति-अर्टिंगा ए०सी०१०					
1	2	3	4	5	6	7
ब	टैम्पो ट्रैवेलर					
8	17 सीटर ए०सी०					
9	25 सीटर ए०सी०					

स	बस	200 किमी	24 घण्टे			
10	35 सीटर ए०सी०					
11	42 सीटर ए०सी०					
12	52 सीटर ए०सी०					

13	नाइट चार्ज	
----	------------	--

नोट- उक्त दरों पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू समर्त कर अतिरिक्त देय होंगे।